

आदेश की क्र०स० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
29/12 2015	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-रहेया जाकर राजस्व कागजात एवं गत सर्वे के नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच के क्रम में बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत राजस्व रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया। जिससे पाया कि जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर के बंदोबस्ती केश नं० 111/2002-03 के अन्तर्गत दिनांक 25.10.2022 को मौजा रहेया थाना नं०-345 के अंतर्गत उक्त खाता सं०-53, प्लॉट सं०- 117/B/932, रकबा 2.05 ए० भूमि की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्री बलराम उरांव पिता देवकी महतो के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा रहेया के मांग पंजी II के पेज सं० 64/2 पर श्री बलराम उरांव पिता देवकी महतो के नाम से दर्ज होकर वर्ष 2002-12 तक रसीद निर्गत हुआ है। अतः बंदोबस्ती पर्चा वो राजस्व रसीद निर्गत होने से स्पष्ट होता है कि उक्त जमाबंदी केश नं० 127/2016-17 को अवैध/संदेहास्पद सूची से बाहर किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई.....<u>समाप्त</u>.....की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में, श्रीमान मन्मथ अधिकारी
मनमथ पलाश

विषय - अवैध जमावंदी केस नं 127/2016-17 का ऑरिजिनल प्रिवेडन के संबंध में /

महाराज, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में प्रतिक्रिया करना है कि

मौजा- रहेमा प्रकर राजस्व कागजात एक नक्सा का मिलान करके अं. जमीन के साथ छलीप ऑरिजिन किया।

ऑरिजिन के क्रम में पाया कि वंदोवलीधारी के द्वारा वंदोवली पर राजस्व रसीद एवं खरीपान की

खातापति प्रस्तुत किया गया। जिससे पता चलता है कि मनुमंडल अधाधिकारी मेहेरीनगर के वंदोवली वारु

111/2002-03 के अन्तर्गत रसीद नं 25-10-2002 का मौजा रहेमा भागा नं 345 खाना नं 53 खेसरा 210

117/B रकबा 2.05 एकर की वंदोवली उत्तर रेषा 932

वलराम महतो पिता देवकी महतो के नाम से डेहली जिलका मांगपंजी II से मिलान करने पर पाया कि

मौजा रहेमा के मांगपंजी II के पेज नं 64/II वलराम महतो पिता देवकी महतो के नाम पर जमावंदी

काजम होकर वर्ष 2002-12 तक रसीद निर्गत है अतः वंदोवली पर राजस्व

रसीद निर्गत होने से स्पष्ट होता है कि उक्त जमावंदी केस नं 127/2016-17 को अवैध / संदेहास्पद माना

सं वाहर किया जा चुका है। ऑरिजिनल प्रिवेडन अग्रेज

का वाई डू भवनी को सादर समर्पित /

जनेश्वर सिंह

REI+U

विश्वासमान
चरिते 2 मीरि
नं 31 नि

2
29/12/2025

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, मैदिनीबाग जिला - पलामू

गैर मजरुआ आम/मालिक भूमे की बन्दोबस्ती कृषि/आवास के लिये

बन्दोबस्ती केश संख्या- 111/02.03

परवाना संख्या- 7

बन्दोबस्तधारी का नाम बलराम महतो

पिता का नाम देवरी महतो

ग्राम रुईया

थाना मनात

जिला पलामू

बन्दोबस्ती की गयी भूमि का विवरण

ग्राम	खाता न०	खेसरा न०	रकबा	चौहदी	लगान
<u>रुईया</u>	<u>53</u>	<u>117 B</u>	<u>2.05</u>	<u>लासे मुईया</u>	<u>16.00</u>
<u>345</u>		<u>932</u>	<u>दे. रु. 5 पं. 4</u>	<u>ज. म. मा. रु. 4</u>	प्रतिवर्ष
		<u>डी. रु. 10</u>	<u>पू. 0</u>	<u>नदी</u>	अलावे सेरा
			<u>प०</u>	<u>मालदेव महतो</u>	वगैरह

बन्दोबस्ती की शर्ते

उपरोक्त जमीन निम्नांकित शर्त के साथ बन्दोबस्त की जाती है।

- बन्दोबस्तधारी बन्दोबस्ती की लगान भूमि की ~~कच्चा~~ कच्चा नापी कराकर अचल अधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।
 - बन्दोबस्तधारी लगान एवं सेरा वगैरह नियमित रूप से प्रतिवर्ष अदाय करेगे/लगान बन्दोबस्ती के वर्ष से देय होगा।
 - बन्दोबस्त की गई जमीन विरासत के ~~होगी~~ होगी किन्तु किसी भी प्रकार से इसका हस्तानान्तरण वैध नहीं होगा।
- बन्दोबस्त भूमि की सारि ~~के~~ वित्त अ ~~चित~~ बैंक के पास केवल बन्धक रखा जा सकता है।

परवाना तैयार करने वाले का हस्ताक्षर

अंचल अधिकारी

अनुमंडल पदाधिकारी

98.9.2002

पिन No. 180V
 गाँव का नाम पलामू
 अनुमण्डल का नाम देवकी नगर
 अंचल का नाम मनोहर
 नाम सर्कल। नाम मौजा मय हेरा
 थाना वो थाना नम्बर ...

V रसीद मालगुजारी
 फरद मालकी/फरद रैयती
 नाम रैयत मय वल्लियत जमाबन्दी
 वो सकुनत नम्बर JB
 41 4965366

खाता संख्या	खेसरा संख्या
53	117/32
	02.05.20

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
कलसाम गहना 5/0	देवकी नगर	

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबद	सालाना	बकाया				हाल 2011-12
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	
माल } (नकदी)	16.00					16.00
गुजारी } (भावली)	4.00				160.00	16.00
सेस	8.00				40.00	4.00
*सूद	8.00				80.00	8.00
मुतफरकात	4.00				80.00	8.00
मीजान	40.00				40.00	4.00
					160.00	40.00

अदायकारी बाबद	सालाना	बकाया				2011-12 मोतालबा हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष		
माल } (नकदी)					160.00	16.00	
गुजारी } (भावली)					40.00	4.00	
सेस					80.00	8.00	
*सूद					80.00	8.00	
मुतफरकात					40.00	4.00	
मीजान अदायकारी					400.00	40.00	400.00

- (1) मीजान कुल (लफ्जों में) चार सौ चालीस रुपये
 (2) नाम देहिन्दा ...
 (3) कुल बकाया-

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

* खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

अंचल अधिकारी

का कार्यालय

अभिलेख बांद संख्या-

1927/16

बांद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापक-2074/सो. दिनांक-13.05.2016 सहपत्रित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/सो, दिनांक-03.09.1986 एवं सह-पत्रित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/सो, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजदूरा खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया है कि निम्नांकित विवरणों की भूमि :-

मौजा- रहमा थाना- 346 खाता संख्या- 53 प्लॉट संख्या- 1937 एकड़- 2.85 एकड़ की भूमि जो गैरमजदूरा खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- 54/2 पर जमाबंदी रयत के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणों की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सद्विध प्रतिबंधित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना संक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणों की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पूछा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत संक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुरोधित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 16/09/14 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी, मनातु का कार्यालय
वाद अभिलेख संख्या127/2016(अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)
नोटिस

बनाम बलराम मदन 5/10 देवरी मदन
2/10 रहेगा

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मैजा 2/10 रहेगा, थाना नं०.....
खाता नं०.....53 खेसरा नं०.....17/932 स्कबा.....2/105 से संबंधित आपके नाम से हो० नं०.....
पंजी भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक
माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त :
रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदो, फार्म
सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं व
साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूर्ति करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं क
तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमाबंदी के
में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि :

मुहर

स्थान :

3
24/10/24
अंचल अधिकारी
अंचल अधिकारी
मनातु पलामू

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जांच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रयत का नाम :- बालराम - मल्ला
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>खेम</u>	<u>346</u>	<u>53</u>	<u>117/932</u>	<u>2.05</u> <u>है</u>
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्व संख्या 64 पृष्ठ सं० 64 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 2012-2013
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :-
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है -
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रयत का नाम :- 2005-2007
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अतिरिक्त सादा हुकुमनामा/लगाव निर्धारण/अवैध मूखदोबस्ती - 11/52203)
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा साखिव रिजर्ज/बन्दोबस्ती पंजी/लगाव निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)
10. संदेहास्पद जमाबंदी से अंकित लगाव रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र० संख्या	लगाव रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	प्रसूती वर्ष
<u>5</u>	<u>4965366</u>	<u>20/9/11</u>	<u>2012-2013</u>

(Signature)

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थानि विभागाभा। प्रतिवादी - पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः पुनः सिरीय मोरी से जिरीय नों। जिस से निवि का रहे।  मेकार	